

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

पटना, दिनांक :—

संख्या—6/गो०—34—02/2019—

/श्री कमल किशोर चौधरी

(कोटि क्रमांक—15), राज्य—कर अपर आयुक्त, अंकेंक्षण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि श्री कमल किशोर चौधरी, राज्य—कर अपर आयुक्त, अंकेंक्षण, दरभंगा प्रमंडल के कार्यों के अतिरिक्त राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०—

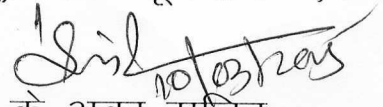
(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक—6/गो०—34—02/2019—1185

पटना, दिनांक :—10/03/25

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग को सी०डी० के माध्यम से)/माननीय उप मुख्यमंत्री (वाणिज्य—कर विभाग) के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव के आप्त सचिव/सभी राज्य—कर अपर आयुक्त (प्रशासन/अंकेंक्षण/अपील/वसूली कोषांग/सभी अंचल प्रभारी, वाणिज्य—कर विभाग/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों/मुख्यालय के सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी एवं आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग,
बिहार, पटना।